न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 58/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00447

अपीलाण्ट :–
आनन्द कुमार सोलंकी पुत्र स्व. हीरालाल सोलंकी, जाति घांची, निवासी 82, भैरूघाट, भलावतों का बास, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मगराज पुत्र हीरालाल, जाति घांची, निवासी वीर दुर्गादास नगर पाली
2. स्व. मोहन लाल के कायम मुकाम–
   2/1. रमेश पुत्र मोहनलाल
   2/2. अनिल पुत्र मोहनलाल
   2/3. कमला देवी पत्नी मोहनलाल
   तमाम जातियान घांची, निवासीगण 52, भेरूघाट भलावतों का बास पाली
3. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल, जाति घांची, निवासी 20, धौला चोतरा बिजली घर के सामने पाली
4. राजेश पुत्र हीरालाल, जाति घांची, निवासी 13, भलावतों का बास पाली
5. स्व. जानकी देवी के कायम मुकाम–
   5/1. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
   5/2. सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण
   5/3. मनीषा पुत्री लक्ष्मीनारायण
   जातिगण घांची, निवासीगण बी 113 शास्त्री नगर, जोधपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अग्निमित्र चौहान

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 14.07.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध पाली I के नामान्तरकरण संख्या 3078 दिनांक 24.03.2014 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अग्निमित्र चौहान उपस्थित हुए व अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोडेण्टस बाद तामिल न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित आये।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के पिताजी ने अपनी स्वअर्जित आय से खरीद की हुई थी तथा दिनांक 02.09.2003 को उनकी निर्वसीयती मृत्यु हो गई जिस पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2529 स्वीकृत किया गया जिसमें सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों का नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलाण्ट की माताजी के कुल आराजी का 1/28 वां हिस्सा दर्ज हुआ जिसका अपीलाण्ट की माताजी ने दिनांक 11.10.2010 को अपीलाण्ट के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क से निष्पादित कर दिया क्योंकि वह माताजी का absolute share था जो उसके पति से प्राप्त था। अपीलाण्ट उक्त हकतर्कनामा दिनांक 12.12.2010 को प्रार्थना–पत्र सहित हल्का पटवारी चक संख्या 1 व तहसीलदार पाली को उक्त आराजियात में खसरा संख्या 780/7 में से 128 वां हिस्सा व खसरा संख्या 780 में से 1/254 वां हिस्सा अपने नाम करने का निवेदन कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन सभी रेस्पोडेण्ट ने मृतक माता जमना देवी के देहान्त के बाद तहसीलदार पाली से मिलावट कर बाले बाले विरासत का गैर विधिक जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो काबिले खारिज है। उपर्युक्त हकतर्कनामा रजिस्टर्ड है तथा उसे अतिरिक्त साक्ष्यों द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं है साथ ही अपीलाण्ट के पक्ष में उक्त हकतर्कनामा निष्पादित किये लगभग 08 वर्ष गुजर चुके है (अपील प्रस्तुती के समय) तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त पंजीबद्ध हकतर्कनामे को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है जबकि किसी भी पंजीवद्ध दस्तावेज को 03 वर्ष की अवधि में चुनौती देना आवश्यक होता है। ऐसी दशा में उक्त हकतर्कनामे के आधार पर नामान्तरकण स्वीकृत होना आवश्यक है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में हमारे द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अपीलाण्ट के पक्ष में पंजीकृत हकतर्क उपलब्ध है तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। हकतर्कनामा दिनांक 11.10.2010 का पंजीकृत दस्तावेज होने के बावजूद उनके अधिकारों पर विवेचन किये बिना पारित निर्णय तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलेक्टर, पाली

लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 3078 ग्राम पाली । दिनांक 24.03.2014 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित करते है कि अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 11.10.2010 के संदर्भ में उसे स्वयं को एवं सर्वसंबंधित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह की अवधि में नव सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.09.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली